<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 889 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक:-20 / 11 / 14</u> <u>फाईलिंग नं. 233504004982014</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोज</u>न

वि रू द्ध

- 1. गोकुल पिता मौजीलाल, उम्र 45 वर्ष
- 2. मोनू पिता गोकुल, उम्र 20 वर्ष
- 3. सोनू पिता गोर्कुल, उम्र 23 वर्ष, सभी निवासी ग्राम नांदपुर, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 10.01.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.11. 2014 को रात्रि 08:30 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत उनके घर के सामने ग्राम नांदपुर लोक स्थान या उसके समीप फरियादी मनोज नारे को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी मनोज नारे को हाथ में रखे पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 11.11. 2014 को रात करीब 08:30 बजे उसके चाचा गोकुल नारे के घर जमीन की नपाई के संबंध में बोलने गया था तभी सोनू और मोनू ने उसे पकड़ लिया और गोकुल ने उसे पत्थर से सिर पर मारा जिससे उसे सिर में चोट आयी। तीनों अभियुक्तगण ने उसे मादरचोद बहनचोद की गाली दी तथा जमीन की नपाई कराने पर जान से खत्म करने की धमकी दिये। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क. 907/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में

पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप फरियादी मनोज नारे को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी मनोज नारे को हाथ में रखे पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

- 5 मनोज (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण गाली गलौच कर रहे थे। साक्षी शारदा (अ.सा.—5) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण उसके पति को गाली गलौच कर रहे थे। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं।
- 6 मनोज (अ.सा.—1) एवं शारदा (अ.सा.—3) ने यद्यपि घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच की जाना बताया है परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन—किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध

रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 मनोज (अ.सा.—1), नाथुराम (अ.सा.—2) एवं शारदा (अ.सा.—5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त अपराध के संबंध में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण पर लगे धारा 506 भाग—दो भा.दं. सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 8 मनोज (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने पत्थर से उसके सिर में मार दिया था जिससे उसके सिर में चोट आयी थी। शारदा (अ.सा.—5) ने साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने उसके पित के साथ पत्थर से मारपीट की थी जिससे उसके पित का सिर फूट गया था।
- 9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—4) ने दिनांक 01.11.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत मनोज का परीक्षण किये जाने पर उसके सिर के मध्य में 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव होना बताया है। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—7) को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा फरियादी मनोज (अ.सा.—1) एवं शारदा (अ.सा.—5) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयाविध में फरियादी मनोज को सिर में चोट आने के तथ्य की संपृष्टि होती है।
- 10 मंगलमूर्ति (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 01. 11.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 907/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 11.11.2014 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—2) तथा दिनांक 12.11.2014 को अभियुक्त गोकुल, मोनू एवं सोनू को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी—4, प्रदर्श पी—5 एवं प्रदर्श पी—6 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- 11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादी की अभियुक्तगण से पूर्व से जमीनी विवाद को लेकर रंजिश है तथा स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षी शारदा फरियादी की पत्नी होकर हितबद्ध साक्षी है। अतः एकमात्र फरियादी के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित

नहीं माना जा सकता। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तथ्य प्रकट किया है।

- वचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में नाथूराम (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह घटना के समय अभियुक्त गोकुल के घर पर बैठा था तभी फरियादी मनोज आया तो सभी अभियुक्तगण बाहर निकले और वह अंदर ही बैठा रहा। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि बाहर क्या क्या हुआ था उसे इस बात की जानकारी नहीं है। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया है कि फरियादी मनोज घटना के समय अत्यधिक शराब पीये हुए था और इसी वजह से वह गिर गया था जिससे उसे चोट आयी थी। उपर्युक्त साक्षी ने घटना दिनांक को फरियादी के नशे में होने का कथन किया है परंतु यदि फरियादी नशे में होता तो घटना के तत्काल पश्चात करायी गयी एमएलसी रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख अवश्य होता। इस तरह से उपर्युक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित नहीं है परंतु मात्र उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण मामला धराशायी नहीं हो जाता है।
- 13 मनोज (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को अपने चाचा अभियुक्त गोकुल के घर गया और उनसे कहा कि पटवारी जमीन नापने के लिए आने वाला है जमीन में बख्खर नहीं चलाना। इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि इतने कहने पर अभियुक्त सोनू उसकी तरफ दौड़ा और कॉलर पकड़ ली तथा इसके बाद अभियुक्त मोनू एवं गोकुल भी आ गये और उन्होंने उसे पकड़ लिया तथा अभियुक्त सोनू ने पत्थर उसके सिर पर मार दिया जिससे उसे चोट आयी। शारदा (अ.सा.—5) ने यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने उसके पति के साथ पत्थर से मारपीट किया था। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त सोनू ने उसके पति को पत्थर मारा और बाकी अभियुक्तगण ने भी उसके पति के साथ मारपीट की थी।
- 14 मनोज (अ.सा.—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्तगण के साथ उसका भूमि के बंटवारे को लेकर विवाद है तथा यह भी बताया है कि यदि उसे जमीन मिल जाये तो वह अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है परंतु पैरा क. 04 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसने मात्र जमीन न देने के कारण अभियुक्तगण की रिपोर्ट नहीं की बिल्क अभियुक्तगण ने उसे मारा ठोका था इसलिए रिपोर्ट की थी। पैरा क. 06 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव पर स्वतः में यह कहा है कि उसका जमीन का विवाद है परंतु अभियुक्तगण ने उसे मारा भी था। शारदा (अ.सा.—5) ने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि वह घटना के समय

मौके पर नहीं थी तथा घटना के बाद पहुंची थी परंतु पैरा क. 03 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि जैसे ही उसके पित का सिर फूट गया था वह अपने पित को लेकर सीधे आमला आ गयी थी। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी के कथनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि साक्षी घटना के समय मौके पर नहीं थी परंतु घटना के तत्काल पश्चात उसका घटना स्थल पर आना तथा फरियादी के सिर पर चोट देखे जाने से फरियादी मनोज (अ.सा.—1) के कथनों का आंशिक समर्थन होता है।

- 15 अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त सोनू और मोनू ने फरियादी को पकड़कर रखा था और अभियुक्त गोकुल ने उसे पत्थर से सिर पर मारा था जबिक मनोज (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त सोनू के द्वारा पत्थर से मारा जाना बताया है परंतु साक्षी के कथनों में मात्र उपर्युक्त विरोधाभास से अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है क्योंकि साक्षी मनोज (अ.सा.—1) अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्ण रूपेण स्थिर है तथा उसके कथनों का आंशिक समर्थन शारदा (अ.सा.—5) के कथनों से भी होता है तथा साथ ही साक्षी के कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। जहां तक उभयपक्ष के मध्य रंजिश का प्रश्न है। वहां यह उल्लेखनीय है कि रंजिश जहां किसी को झूठा फंसाने का हेतुक हो सकता है वहीं मारपीट किये जाने का भी हेतुक हो सकता है। फरियादी मनोज अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर स्थिर है। अतः रंजिश से बचाव को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। साथ ही फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट तत्काल पश्चात की गयी है जिससे किसी को मिथ्या आलिप्त किया जाना भी दर्शित नहीं होता है।
- 16 अभियुक्तगण का एक साथ मौके पर आना तथा पहले फरियादी के साथ गाली गलौच करना, तत्पश्चात फरियादी को पकड़कर किसी एक अभियुक्त द्वारा उसके सिर पर पत्थर से प्रहार किया जाना सभी अभियुक्तगण का फरियादी को उपहित कारित किये जाने के सामान्य उद्देश्य को दर्शित करता है तथा उनका कृत्य सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में कारित किया जाना प्रकट होता है। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में फरियादी पर पत्थर से प्रहार कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की गयी थी।
- 17 अभियुक्तगण के द्वारा एकदम से आकर फरियादी मनोज (अ.सा.—1) के साथ मारपीट किया जाना, उनके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मनोज नारे को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी मनोज नारे को पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः अभियुक्तगण गोकुल, मोनू एवं सोनू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323/34 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

19 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

- 20 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा तीनों अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबिक विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।
- 21 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।

22 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही परिवार के सदस्य है तथा तीनों अभियुक्तगण पिता—पुत्र हैं एवं घटना में फरियादी को एक ही चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को केवल अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण को धारा 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 700/—700/— रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिकृम में किया जाता है तो उन्हें 15—15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

23 धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 1,500/— रूपये आहत मनोज पिता शिवदयाल, निवासी नांदपुर, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

24 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

25 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)